(61)

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

# न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी

निग-1632-III-14

जगदीश पुत्र भैरों लोधी निवासी ग्राम आमोलपठा तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

----- आवेदक

बनाम

रामदयाल पुत्र भैरों लोधी निवासी ग्राम आमोलपठा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

---- अनावेदक

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. करैरा जिला शिवपुरी के प्र.क. 41/11–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 03.05.2014 के विरुद्ध जानकारी दिनांक 03.05.2014 से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।**

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

**निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–**

यह कि, ग्राम आमौल पठा स्थित भूमि सर्वे क. 870 रकवा 0.65 है., 1301 रकवा 0.22, 1304 रकवा 0.10 कुल किता 3 कुल रकवा 0.97 का व्यवस्थापन हेतु कब्जे के आधार पर आवेदन पत्र तहसीलदार करैरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रक. 130/अ–19/94–95 पर पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत उद्घोषणा जारी की गई। आपत्तियां आहूत की गई। समयावधि में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी का कब्जा पूर्वजों के समय से अंकित है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थी से कब्जा वाबत अर्थ दण्ड किया गया जिसकी हमारे पास रसीदें हैं। प्रार्थी के कब्जे के आधार पर व्यवस्थापन की पात्रता रखते हैं। आवेदक के हित में दिनांक 10.04.1995 से व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनु.वि.अधि. करैरा के समक्ष अवधि वाहय अपील दिनांक 14.07.2011 को लगभग 16 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई। जिसका अपील 41/11–12 पर दर्ज की जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 03.05.2014 से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करैरा पारित आदेश दिनांक 10.04.1995 निरस्त कर दिया गया। परन्तु अवधि वाहय अपील को अवधि के संबध में कोई आदेश पारित नही किया गया। इस कारण उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./1652/तीन/2014 जिला शिवपुरी

जगदीश विरूद्ध रामदयाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17/6/19 | प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-41/2011-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 03/05/2014 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br><br>(आर0के0 जैन) 17/6/19<br>सदस्य | |